न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

प्रार्थना पत्र संख्या 71/2016 (मूल प्रा0 सं070/2014)

दिलीप कुमार जैन (रांका) पुत्र श्री भॅवरलाल जैन, निवासी–10, अम्बिका विहार कॉलोनी, फाईसागर रोड, अजमेर। .....**प्रार्थी/ऋणी**

बनाम

1. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा पुरानी मण्डी जरिये प्राधिकृत अधिकारी।
2. राजेन्द्र सिंह शेखावत द्वारा–एसोसिएट रिकवरी अधिकृत सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, 36, शक्ति नगर, अजमेर रोड, जयपुर। .....**अप्रार्थीगण**

अर्न्तगत धारा 14 दी सिक्यूराईटेशन रिक्सट्क्शन आफ फाईनेनिशयल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 के तहत प्रार्थना पत्र 70/2014 में पारित आदेश दिनांक 22.04.2014 को रिव्यू करने बाबत

उपस्थित :–

1. श्री संदीप वर्मा — अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री सुरेन्द्र सेठी, रविन्द्र सेठी — अभिभाषक अप्रार्थी0

आदेश **दिनांक 31.01.2018**

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी बैंक से प्रार्थी श्री दिलीप कुमार जैन (रांका) पुत्र श्री भॅवरलाल जैन (रांका), एवं श्रीमती अंजू जैन (रांका) पत्नि श्री दिलीप कुमार जैन (रांका), कुमारी पायल जैन पुत्री श्री दिलीप कुमार जैन (रांका), कुमारी पलक जैन पुत्री श्री दिलीप कुमार जैन (रांका),निवासी प्लाट नं0 33 अरिहन्त कोलोनी, पुष्कर रोड, अजमेर (राज0) श्री मुकेश दत्त दाधीच पुत्र श्री सुदर्शन दत्त दाधीच निवासी 169/14, खटोला पोल, नया बाजार, अजमेर जिला–अजमेर (राज0) ऋणी/जमानतदार द्वारा दिनांक 27–01–2011 को ऋण सुविधा 31,35,000/– अक्षरे इकतीस लाख पैतींस हजार रूपये की प्राप्त की थी। जिसके पुर्नभगतान हेतु अचल सम्पतिः–मकान नं0 33, अरहिन्त कॉलोनी, पुष्कर रोड, अजमेर स्थित भूमि व भवन, क्षैत्रफल–199.00 वर्ग गज जो कि प्रार्थी के नाम से है, को बतौर जमानत अप्रार्थी बैंक के पास बन्धक रखा था। प्रार्थी द्वारा नियमित रूप से अप्रार्थी बैंक को उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर डिफाल्टर होने पर अप्रार्थी बैंक द्वारा उक्त खाता एन.पी.ए. मे वर्गीकृत करते हुये SARFACIA Act की धारा 13(2) के तहत बकाया राशि मय ब्याज जमा कराये जाने हेतु मांग नोटिस जारी किया। ऋणी/गारन्टर द्वारा बकाया ऋण राशि का भुगतान बावजूद मांग के नहीं किये जाने पर देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पति का कब्जा अप्रार्थी बैंक को संभलाने के लिये अप्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security intrest Act 2002 की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय द्वारा उक्त अधिनियम में प्रदत्त शक्तियों के तहत स्वीकार किया जाकर आदेश दिनांक 22.4.2014 पारित किया गया। प्रार्थी द्वारा उक्त आदेश को रिव्यू करने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रंस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण जरिये अभिभाषक उपस्थित आयें। उपस्थित उभय पक्ष को सुना गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

31/1/18

जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

वकील प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि अप्रार्थी बैंक ने वास्तविक एवं सही तथ्यों को छुपाकर माननीय न्यायालय को गुमराह कर आक्षेपित आदेश प्राप्त किया गया जो विधि विरूद्ध है। प्रार्थी द्वारा धारा 13(2) के नोटिस का जवाब/आपत्तियॉ दिनांक 3.3.2014 को धारा 13 (3) के तहत प्रेषित की गई, जिनका निस्तारण किये बिना अप्रार्थी बैंक एवं प्राधिकृत अधिकारी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष धारा 13(4) व 14 के तहत की गई कार्यवाही विधि विरूद्ध है। इस संबध में बैंक अधिकारियों के विरूद्ध धारा 29 SARFACIA Act के तहत प्रस्तुत परिवाद में न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 01 द्वारा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के विरूद्ध प्रसंज्ञान लिया गया है। उपरोक्त समस्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाते हुए अप्रार्थी संख्या 01 व 2 के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करते हुए आक्षेपित आदेश दिनांक 22.4.2014 को रिव्यू करते हुए पुनः कब्जा प्रार्थी को दिलवाये जाने के आदेश न्यायहित में पारित फरमावें।

वकील प्रार्थी की बहस के जवाब में उपस्थित अप्रार्थीगण के अभिभाषक ने रिव्यू प्रार्थना पत्र बाबत प्राथमिक आपत्ति प्रकट करते हुए निवेदन किया कि इस न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश धारा 13(4) के तहत ही जारी किया गया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रिट फ़ैसल/खारिज करते हुए पिटिशनर को ऋण वसूली अधिकरण (DRT) के समक्ष अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया है। अप्रार्थी बैंक द्वारा प्रार्थी को दी गई ऋण राशि मय ब्याज की राशि के पुर्नभुगतान हेतु की गई समस्त कार्यवाही नियमानुसार SARFACIA Act के तहत ही की गई है, जो प्रारम्भ से ही प्रार्थी0 के संज्ञान में होने के बावजूद भी देय राशि अप्रार्थी बैंक को जमा नहीं कराई गई। अप्रार्थी बैंक के पक्ष में रहन रखी सम्पति का कब्जा बैंक को दिलवाने के प्रावधान के तहत ही आक्षेपित आदेश पारित किया गया है उक्त अधिनियम में रिव्यू का कोई प्रावधान नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रिव्यू प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के क्षैत्राधिकारिता का नहीं होने के कारण इसी स्तर पर खारिज फरमाय जावें।

हमने उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया एवं रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर के आदेश के अनुरूप वांछित अनुतोष हेतु SARFACIA Act की धारा 17 के तहत प्रार्थी को ऋण वसूली अधिकरण (DRT) के समक्ष अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। उपरोक्त तथ्य के परिपेक्ष्य में प्रार्थी का प्रस्तुत रिव्यू प्रार्थना पत्र क्षैत्राधिकारिता के बिन्दू पर प्राथमिक आपत्ति के आधार पर खारिज किया जाता है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 31.01.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

31/01/18

(गौरव गोयल)
जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर